न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 118/2015

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
हडमान पुत्र श्री मिश्राजी जाति देवासी, निवासी थरासनी तहसील सोजत जिला पाली।		1 राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार सोजत।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 24.9.2018

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 36/2012 हडमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.09.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि मौजा थरासनी के खसरा नम्बर 355 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी सोयम की भूमि स्थित है, उक्त आराजी के सम्बन्ध में वादी हडमान द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी के प्रस्तुत कर निवेदन कर खातेदारी घोषणा व राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु अनुतोष चाहा, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय दिनांक 21.09.2015 द्वारा खारिज कर दिया गया, जिससे व्याथित होकर उक्त अपील हाजा न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पिता को आवंटन की गई थी। उपरोक्त आराजीयात की भूमि पर अपीलांट के पिता मिश्राजी का ही कब्जा काश्त था तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलांट का कब्जा काश्त है। अपीलांट के अतिरिक्त मिश्रा जी के वारिशान में अपीलांट की माता चम्पादेवी एवं वादी की बहिन ढगलीदेवी थी, जो फौत हो चुकी है, इस प्रकार मिश्रा जी के वारिसान में एकमात्र अपीलांट ही जीवित है। अपीलांट के पिता के स्वर्गवास के बाद राजस्व रेकर्ड में उपरोक्त वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 223 के तहत जमाबन्दी सम्वत 2042 से 2045 के अनुसार बतौर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपीलांट की माता अनपढ महिला एवं स्वंय अपीलांट व उसकी बहन उस समय नाबालिग थे, इसलिये खाते की जानकारी नही थी। सेटलमेन्ट के वक्त पुराने खसरा नम्बर 355 के नये खसरा नम्बर 241 व 242 बने थे, जिसके अनुसार भी खसरा नम्बर 241 की कृषि भूमि का रकबा 15 बीघा थी, जो राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। इस प्रकार सेटलमेन्ट के पूर्व व सेटलमेंट के बाद 15 बीघा भूमि पर अपीलांट के पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, लेकिन राजस्व अधिकारियों व हल्का पटवारी की गलती से राजस्व रेकर्ड में अपने अधिकारो से परे जाकर अपीलांट की भूमि का रकबा कम कर 2.40 हैक्टेयर के स्थान पर 1.00 हैक्टेयर कर दिया, जबकि ऐसा करने का उनको कोई विधिक अधिकार नही था। उक्त आराजी पर सेटलमेट से पूर्व एवं सेटलमेंट के बाद से आज दिन तक अपीलांट के पिता व उनके देहान्त के पश्चात अपीलांट का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। भू राजस्व अधिकारियों को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के राजस्व रेकर्ड की प्रविष्टियों को बदलने का अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा अपने वाद के समर्थन में अपीलांट स्वंय के बयान करवाये गये। तथा अपीलांट द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 से प्रदर्श 8 प्रस्तुत किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का बिना विवेचन किए एवं बिना तनकीयात कायम किये बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण में प्रत्येक बिन्दु पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी को पृथक से विनिश्चित किया जाना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना तनकीयात कायम किये, दस्तावेजो का विवेचन किये जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसे किसी भी रूप में विधि सम्मत नही कहा जा सकता है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील निर्णय अपास्त करावे। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 391 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्त की प्रति प्रस्तुत की।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि समरी सेटलमेंट के समय अपीलांट के पिता का जितनी भूमि पर कब्जा काश्त था, उतनी भूमि का इन्द्राज भूराजस्व अधिकारियों द्वारा अपीलांट के पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में कर दिया गया था। शेष भूमि राजकीय सिवायचक आराजी है जिस पर अपीलांट एवं उसके पिता का कभी भी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए अपीलाण्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। लिहाजा अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वाद प्रस्तुत कर मौजा थरासनी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के खसरा नम्बर 355 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि की खातेदारी घोषणा व राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी को जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी का वाद दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी से साबित कराने का निवेदन किया। जिस पर वादी ने वाद के समर्थन में मौजा थरासनी की जमाबन्दी संवत 2026 से 2029 प्रदर्श–1, जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 के खाता संख्या 437 की प्रति प्रदर्श–2, भूप्रबन्ध विभाग द्वारा जारी किया गया खसरा पत्रक की प्रति प्रदर्श–4, मौजा थरासनी की जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 के खसरा नम्बर 241 की प्रति प्रदर्श–5, चम्पादेवी पत्नी मिश्रीलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श–6, ढगलीदेवी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श–6, नक्शा की प्रति प्रदर्श–7 एवं भूमि वितरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श–7 दस्तावेज प्रस्तुत किये। जिस पर बहस उभयपक्ष सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील आदेश पारित करते हुए वादी का वाद खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आंवटन के सम्बन्ध में भूमि आंवटन वितरण पत्र की प्रति प्रस्तुत संलग्न है। सरकारी पैरोकार द्वारा उक्त आवंटन के निरस्त होने या इस सम्बन्ध में कोई अन्य कारवाई होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय व हाजा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि अपीलांट के पिता को 15 बीघा भूमि आंवटित हुई थी। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या भू राजस्व अधिकारियो को राजस्व रेकर्ड में अंकित प्रविष्टियों को बदलने का अधिकार है या नहीं ? इस सम्बन्ध में आर0आर0डी 2013(1) पेज 391 उदयलाल बनाम सरकार में यह प्रतिपादित किया है "कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 136 इन्द्राज दुरूस्ती हेतु आवेदन खारिज किया – के पुत्र पी को 2.10 बीघा भूमि अ.नं. 1326 मिन से आवंटित की– भूमि के की गैरखातेदारी में दर्ज थी– प्रविष्टियों को दोहराया जाना आवश्यक था– बिना किसी आदेश के भू प्रबन्ध ने प्रविष्टि का विलोपित किया– भूमि पर अपीलाण्टस् का कब्जा तथा वे के के विधिक वारिसान है– निर्णीत आदेश अपास्त किया तथा आवेदन स्वीकार किया।" इसी प्रकार से आर0बी0जे0 1996 पृ ठ 8 ख्याली बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य, आर0बी0जे0 2002 पेज 332 गिरीराज बनाम भगवत, आर0बी0जे0 2009 पेज 954 मुश्ताक अहमद एवं बनाम पीरू व अन्य, आर0आर0टी0 2010 पेज 814 अचल पुरी एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये है। जो कि हस्तगत प्रकरण में चस्पा होते है। इसी प्रकार राजस्व (ग्रुप.6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6(12) राज 16/92/26 दिनांक 20.12.1995 से यह स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी या खातेदारी का जो भी अंकन भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व का है, उसे नये रिकार्ड में दोहराया जाना चाहिए, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय का इन इन्द्राजात को बदलने का आदेश ना हो। भूप्रबन्ध विभाग को यह अधिकार नही है कि राजस्व रिकार्ड में आये इन्द्राजात को अपने स्तर पर बदले। यदि ऐसे इन्द्राजात भूप्रबंध के दौरान बदले गये

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हो तो उनकी दुरूस्ती धारा 136 के अन्तर्गत की जायेगी। इन अंकनो के दुरूस्ती हेतु अलग से दावा लाया जाना भी आवश्यक नहीं होगा। उक्त न्यायिक सिद्धान्तो एवं परिपत्र में यह अभिलिखित है कि भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में अंकित पुरानी प्रविष्टियों को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बदलने का कोई अधिकार नही है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किये जैर अपील निर्णय पारित किया है, इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 2015 (2) पेज 1283 रामचन्द्र बनाम रामनिवास में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "आदेश 20 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधान की पालना किया जाना आवश्यक है तथा प्रत्येक तनकी पर निष्कर्ष अभिलिखित किया जाना आवश्यक है।" हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो तनकीयात कायम की गई एवं जब तनकीयात कायम नही की गई हो तो निष्कर्ष अभिलिखित किये जाने का सवाल ही नही उठता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय बिना तनकीयात कायम किये एवं दस्तावेजो को समुचित विवेचन किये पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नही होता है।

परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 36/2012 हडमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.09.2015 अपास्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का समुचित विवेचन किया जाकर, एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर गुणवागुण पर निर्णय पारित करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली